हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

3/22 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी अवकाश में होने के कारण आईन्दा दिनांक 23/5/22 को पेश हो।

23/5/22 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उप०। विप्रार्थीगण के सम्मन Reg. Ac. पुनः पेश करने हेतु न्यायाहित में अन्तिम अवसर दिया गया। स्थगन आदेश की ~~पेशी तारीख~~ अवधि आगामी पेशी तारीख तक बढ़ाई जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 11/7/22 को पेश हो।
(हस्ताक्षर)

11/07/22 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी दीगज कार्यो मे व्यस्त है, मिसल इल्तबा होकर पत्रावली पुर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 21/10/22 को पेश हो।

07/10/22 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थिनी उप.। प्रार्थिनी स्वयं उप.। वकील प्रार्थिनी ने प्रार्थना पत्र वास्ते पत्रावली पेशी पर लेने बाबत पेश कर निवेदन किया कि पत्रावली आज पेशी तारीख पर ली जावें। प्रार्थी वकील के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली आज पेशी तारीख पर ली गई। वकील प्रार्थिनी ने प्रार्थना पत्र वास्ते आवेदन विड्रा करने बाबत पेश कर निवेदन किया कि उक्त अनवान के प्रकरण में हमारे गांव के मोजीज लोगो ने आपसी समझाइश करके राजीनामा करवा दिया है इसलिये हम उक्त प्रकरण को आगे चलाना नही चाहते है। इसलिये उक्त अनवान के प्रकरण को जरिये राजीनामा विड्रा फरमाया जावें।
प्रार्थिनी वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को न्यायहित मे स्वीकार किया जाकर उक्त अनवान के प्रकरण को जरिये राजीनामा विड्रो किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। मूलवाद के संलग्न हो।
(हस्ताक्षर)

v/s वादीनी वकील
(हस्ताक्षर)
मुलका

नम्बर
अहकाम
हुक्म की नकल
में जारी हुए

राजस्थान सरकार

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा जिला–बाड़मेर

प्रार्थीनी	विप्रार्थीगण
1. मलूका पुत्री मीरू जाति मूसलमान निवासी समों की ढाणी तहसील सेड़वा	1. फता पुत्र मीरू 2. कमरदीन पुत्र मीरू 3. मियल पुत्र मीरू 4. रोहती पुत्र मीरू जातियान मुसलमान निवासीयान समों की ढाणी तहसील सेड़वा 5. हैदर खान पुत्र मढा खान 6. लाला खान पुत्र अली खान 7. इशाक खान पुत्र रहमान खान 8. अमीनखान पुत्र रहमान खान जातियान मुसलमान निवासीयान आकल तहसील सेड़वा 9. शाखा प्रबंधक एस0बी0आई0 शाखा सेड़वा 10. श्रीमान तहसीलदार सेड़वा

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मु.न 144/2021

प्रार्थीनी के वकील श्री दोष मोहम्मद ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया। विप्रार्थीगण को तलबी एवं जवाब वास्ते दिनांक 6/09/21 को पेश हो।

स्थगन प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीनी के वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता की बहस एवं सलंग्न दस्तावेजों के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीनी के हक में क्यास होता है, अतः जरिये अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा विप्रार्थी को आगामी पेशी तारीख तक इस कदर पाबंद किया जाता है कि वो तहसील सेड़वा के मौजा समों की ढाणी पटवार क्षेत्र चिचड़ासर तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 468/388 रकबा 126.01 बीघा किस्म बारानी सोयम व मूल खसरा से बने नवीन खसरा 523/388 रकबा 01.01 बीघा व खसरा संख्या 524/388 रकबा 01.01 बीघा किस्म बारानी सोयम भूमि से प्रार्थीनी को जबरन बेदखल नही करें व न ही प्रार्थीनी के कब्जे–काश्त में दखलन्दाजी स्वयं करे अथवा न अन्य किसी के मार्फत करवाये तथा न ही उक्त भूमि का बेचान या अन्य किसी प्रकार का हस्तान्तरण करें व मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। विप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस दिवस 7 दिन में रजि.एडी सहित न्यायालय हाजा में आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जावे। स्थगन अहकॉम तहसीलदार सेड़वा को जारी हो। तलबी विप्रार्थीगण जरिये रजिस्टर एडी. नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 6/09/21 को पेश हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा
सहायक कलक्टर
SDO सेड़वा

क्रमांक/2021/ 635-41 दिनांक :– 27/7/21

प्रतिलिपि :–

1. तहसीलदार एवं उपपंजीयक सेड़वा।
2. प्रार्थीनी मलूका पुत्री मीरू।
3. विप्रार्थीगण फता पुत्र मीरू वगैरा।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/धोरीमन्ना/बाखासर/बीजराड़/चौहटन।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर
SDO सेड़वा